



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939

No. 571]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

**सा.का.नि.756(अ).**—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i), तारीख 2 नवम्बर, 2016 में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1034(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

- उक्त अधिसूचना के नियम 2 में, “निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे” रखे जाएंगे।
- उक्त अधिसूचना में “तारीख 1 अक्टूबर, 2018 को या” शब्दों और अंकों के स्थान पर “(4) तारीख 1 अक्टूबर, 2018 को या” कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं.आर.टी-11028/02/2016-एमवीएल]

अभय दामले संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

**G.S.R 756.(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 1034 (E) dated the 2<sup>nd</sup> November, 2016

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 2<sup>nd</sup> November 2016, namely:-

1. In the said notification, in rule 2, for the words “the following sub-rule”, the words “the following sub-rules” shall be substituted.
2. In the said notification, for the figure and words “3. The vehicles referred to in”, the brackets, figure and words “(4) The vehicles referred to in” shall be substituted.

[No. RT-11028/02/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.